न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील

संख्याः—109 / 2022 / 223 आर.टी.एक्ट (2022 / 109)

1. उगमी देवी पुत्री चंद्रनाथ, पत्नी कैलाशचंद, जाति खेड (ढौली), निवासी रामपुरा डाबला, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर हाल निवासी ग्राम दौराई, तहसील व जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. राजू तथाकथित दत्तक पुत्र सत्यनारायण, जाति खेड (ढौली), निवासी रामपुरा डाबला, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 21.02.2022 उपखण्ड अधिकारी पीसांगन, राजस्व वाद संख्या 34 / 2018

उपस्थितः—

1. श्री शंकरलाल चौधरी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विकास पराशर राजकिय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2
3. रेस्पोडेंट संख्या 01 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—11.10.2022

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 34 / 2018 में पारित आदेश के विरूद्ध दिनांक 21.02.2022 को इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 ने वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 2 के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसांगन जिला अजमेर के समक्ष एक वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 व188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं सपठित धारा 136 व 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाकै ग्राम रामपुरा डाबला, तहसील पीसांगन में स्थित आराजी खसरा नम्बर 526 रकबा 0.71 है0 भूमि स्थित है जो कि वादी की पैतृक आराजी है। जिसके नवीन खसरा नम्बर 271 हैं उक्त आराजी में नामांतरण संख्या 639 से वादी के पिता स्व0 सत्यनारायण दत्तक पुत्र शंकरलाल बतौर खातेदार काविज काश्त चले आ रहे हैं। उक्त आराजी के चौसाला जमाबंदी में वादी के दादा एवं परदादा का नाम शंकर पुत्र सोनाथ अंकित है। परंतु परिवर्तित जमाबंदी संवत 2071 से 2074 में वादी के दादा व परदादा को भाई भाई अंकित कर दिया गया है एवं वल्दियत बदल कर शंकरलाल, शिवनाथ पि0 चंद्रनाथ कौम खेड के स्थान पर शंकरलाल पुत्र शिवनाथ कौम खेड किया जाने का निवदेन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस

जारी किए। तत्पश्चात प्रतिवादी सरकार ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब वाद पत्र पेश कर राज्य हित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया। जिसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने बहस सुनकर निर्णय यह डिक्री दिनांक 21.02.2022 पारित कर वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री फरमा दिया। इन उक्त वर्णित आधारों पर जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 34/2018 में पारित आदेश के विरूद्ध दिनांक 21.02.2022 को इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जाब्ता दीवानी पेश कर कथन किया कि वर्तमान अपीलांट/प्रार्थीया उगमी देवी वादग्रस्त आराजी की खातेदार चंद्रनाथ की एकमात्र विधिक वारिस होकर मौके पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है तथा वादग्रस्त आराजी प्रार्थीया की पैतृक आराजी होने के कारण उसका उसमें जन्म से हक व अधिकार निहित है और वह हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी की जाईन्दा वारिस है। इसलिए वह उक्त वाद में आवश्यक पक्षकार की श्रेणी में आती है परंतु वर्तमार रेस्पोडेंट संख्या 1 राजू ने गलत व मनगढंत तथ्यों के आधार पर बदनीयती पूर्वक बिना वर्तमान अपीलांट को पक्षकार बनाए एक तरफा में प्रार्थीया की पीठ पीछे उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 21.02.2022 पारित करवा लिया। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.02.2022 से वर्तमान अपीलांट/प्राथीया प्रभावित एवं हितबद्ध पक्षकार है। इसलिए प्रार्थीया को उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किए जाने की अनुमति प्रदान किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करते हुए प्रस्तुत अपील का गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

5. अभिभाषक अपीलांट ने तत्पश्चात् प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी पीसांगन द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.02.2022 की जानकारी वर्तमान प्रार्थीया को नहीं थी क्योंकि उक्त निर्णय प्रार्थीया को बिना पक्षकार बनाए उसकी पीठ पीछे पारित किया गया था। प्रार्थीया को उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी पटवारी हल्का से दिनांक 28.03.2022 को हुई, तत्पश्चात प्रार्थीया दिनांक 29.03.2022 को अधीनस्थ न्यायालय गई और उक्त निर्णय की जानकारी प्राप्त की तथा प्रार्थीया ने उसी दिन उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 21.02.2022 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 31.03.2022 को प्राप्त हुई। जिसके पश्चात अपील प्रस्तुत करने हेतु अन्य दस्तावेज व फीस आदि की व्यवस्था कर प्रार्थीया आज दिनांक को अजमेर आकर अपने वकील साहब से यह अपील तैयार करवाकर बिना किसी विलम्ब के आज पेश करवा रही है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी उपरोक्त सदभाविक कारण से होने के कारण क्षमा किए जाने योग्य है। इसलिए न्यायहित में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी की क्षमा किया जाना अति आवश्यक है अन्यथा प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी का मूल खातेदार काश्तकार शिवनाथ थे। जोकि वर्तमान अपीलांट के दादा थे। शिवनाथ के दो पुत्र चंद्रनाथ व शंकरनाथ हुए। शंकरनाथ लाऔलाद फौत हो गया तथा चंद्रनाथ की मृत्यु दिनांक 15.09.1985 को हुई, जिसके दो वारिस दाखी देवी पत्नी चंद्रनाथ व उगमी देवी पुत्र चंद्रनाथ थी। जिसमें से दाखी देवी की मृत्यु भी दिनांक 30.02.2001 को हो गई। इस प्रकार केवल मात्र वर्तमान अपीलांट उगमी देवी ही वादग्रस्त आराजी की एकमात्र विधिक वारिस होकर मौके पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। जो कि अपील के साथ प्रस्तुत जनआधार कार्ड की प्रतिलिपि से स्पष्ट साबित होता है। वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 राजू का उक्त

वादग्रसत आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। परंतु रेस्पोडेंट संख्या 1 राजू ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत व मनगंढत तथ्यों के आधार पर बिना वर्तमान अपीलांट को पक्षकार बनाए वाद प्रस्तुत किया और अधीनस्थ न्यायालय ने वाद को स्वीकार कर डिक्री कर दिया। उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन ने इस बिंदु को नजरअंदाज किया कि वर्तमान अपीलांट उगमी देवी वादग्रस्त आराजी की एकमात्र विधिक वारिस होकर मौके पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। इसलिए वह उक्त वाद में आवश्यक पक्षकार की श्रेणी में आती है। परंतु वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 राजू जिसका उक्त वादग्रस्त आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है, उसने गलत व मनगंढत तथ्यों के आधार पर बदनीयती पूर्वक निबा वर्तमान अपीलांट को पक्षकार बनाए उक्त वाद पत्र प्रस्तुत कर डिक्री करवा लिया। यदि वर्तमान अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता तो वह न्यायालय को वास्तविक तथ्यों से अवगत कराती। परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त विधिक तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए विवादित निर्णय व डिक्री पारित करने में भूल की है। उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन ने इस विधिक बिंदु को नजरअंदाज किया कि वादग्रस्त आराजी पुराने राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान अपीलांट के पिता चंद्रनाथ पुत्र शिवनाथ के नाम अंकित चली आ रही थी। जब चंद्रनाथ पुत्र शिवनाथ की मृत्यु दिनांक 15.09.1985 को हुई तो उसकी विरासत का नामंतकरण उसके जाईन्दा वारिस उसकी पत्नी दाखीदेवी व वर्तमान अपीलांट उगमी देवी के नाम स्वीकृत किया जाना चाहिए था। परंतु विपक्षीगण ने राजस्व कर्मचारियों से साज करके दिनांक 17.05.1989 को प्रशासन गांवों के संग अभियान में चंद्रनाथ पुत्र शिवनाथ के विरासत का नामांतकरण गलत रूप से शंकरलाल व शिवनाथ पि0 चंद्रनाथ कौम खेड के नाम स्वीकार करवा लिया, जिसका अंकन जमाबंदी संवत 2041 में किया गया और तत्पश्चात शंकरलाल का तथाकथित दत्तक पुत्र बनकर उसकी विरासत का नामांतरण वादी के पिता सत्यनारायण ने अपने नाम खुलवा लिया। जबकि चंद्रनाथ पुत्र शिवनाथ के जाईन्दा वारिस उसकी पत्नी दाखीदेवी व पुत्री उगमी देवी थी, जिनके नाम विरासत का नांमान्तरण स्वीकार किया जाना चाहिए था। शिवनाथ चंद्रनाथ के पिता थे। इसप्रकार राजस्व कर्मचारियों ने बिना किसी प्रकार की जांच पड़ताल किए एवं विधिक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए आदेश दिनांक 17.05.1989 पारित करने में भारी विधिक त्रुटि कारित की थी। उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन ने इस बिंदु को नजरअंदाज किया कि जब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विपक्षीगण ने अपना जवाब दावा प्रस्तुत कर दिया था तो दावे तथा जवाब दावे के आधार पर तनकीयां कायम की जाकर तनकी वाईस विस्तृत निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। परंतु अधीनस्थ न्यायालय को आदेश 20 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रावधित विधिक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए निर्णय व डिक्री दिनांक 21.02.2022 पारित किया है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसांगन के आदेश दिनांक 21.02.2022 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त फरमाया जाने के आदेश प्रदान करावे।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा सर्वप्रथम धारा 96 प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजीयात बाबत अपीलांट को किसी प्रकार का सबंध एवं सरोकार नहीं है तथा अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2022 में पारित आदेश में किसी भी प्रकार से पक्षकार के रूप में मूर्तिब नही है तथा उक्त अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत उक्त अपील को निरस्त किया जावें। तत्पश्चात रेस्पोडेंट अभिभाषक द्वारा अपील के साथ संलग्न मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा चुनौतिधीन आदेश दिनांक 21.02.2022 के विरूद्ध उक्त अपील भारी मियाद बाहर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है उक्त अपील को इसी स्तर पर निरस्त किया जावें। रेस्पोडेंट अभिभाषक द्वारा आगे निवेदन किया कि वादी द्वारा विवादित आराजीयात बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित राजस्व वाद के माध्यम से अपनी पैत्रक आराजीयात बाबत खातेदारी/काश्तकारी के अधिकारों की

उदघोषणा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 21.02.2022 के माध्यम से करवाई है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि कारित नहीं कि गई है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष लंवित पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का विधि अनुसार अवलोकन कर वादी/रेस्पोडेंट के द्वारा प्रस्तुत उक्त राजस्व वाद को दिनांक 21.02.2022 को स्वीकार किया तथा विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 526 रकबा 0.71 में अपीलांट का किसी प्रकार से हक एवं अधिकार नहीं है तथा अपीलांट द्वारा उक्त अपील मनगढंत तथ्य एवं कथनों के आधार पर रेस्पोडेंट हैरान एवं परेशान करने के उददेश्य से प्रस्तुत की है तथा उक्त अपील अविधिक होने के कारण उक्त अपील इसी स्तर पर निरस्त किया जावें।

8. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजों का अद्योपांत अवलोकन एवं परिशीलन किया सर्वप्रथम हम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 96 जा0दी0 का निरस्तारण करना उचित समझते हैं विवादित आराजीयात राजस्व अभिलेख में शंकरनाथ व शिवनाथ पिता चंद्रनाथ वल्द शिवनाथ के नाम वर्किंग जमाबंदी तथा उसके पश्चात आधारभूत जमावंदी (नई जमाबंदी) दर्ज खातेदार शिवनाथ व सत्यनारायण पुत्रान चंद्रनाथ के नाम दर्ज है तथा अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.02.2022 से प्रभावित एवं हितबद्ध पक्षकार होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर उक्त पत्रावली को गुणावगुण पर निर्णय किया जाना उचित समझते हैं तथा तत्पश्चात उक्त अपील के साथ संलग्न धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर निर्णय करना उचित समझते हैं अपीलांट द्वारा उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय व डिक्री दिनांक 21.02.2022 के आदेश के विरूद्ध हाजा न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.04.2022 में प्रस्तुत की है तथा उक्त अपील प्रस्तुती करने में लगा समय सदभाविक होने के कारण उक्त अपील को न्यायहित में अंदर मियाद शुमार किया जाकर उक्त पत्रावली को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

9. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 21.02.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की है तथा विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 271 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी वर्किंग जमाबंदी सम्वत 2041 में चंद्रनाथ वल्द शिवनाथ के नाम दर्ज तथा उनके निधन के पश्चात नामांतकरण संख्या 1 दिनांक 17.05.1989 के द्वारा उनकी विरासत का नामांतकरण शंकरलाल व शिवनाथ पिता चंद्रनाथ के नाम दर्ज किया गया तथा दौराने बंदोबस्त वर्किंग जमाबंदी से आधारभूत जमाबंदी मूर्तिब कर विवादित आराजीयात के नए खसरा नम्बर 526 रकबा 0.71 मूर्तिब किए गए है तथा उक्त आराजीयात शंकरलाल शिवनाथ पिता चंद्रनाथ के नाम दर्ज चली आ रही है तथा वादी द्वारा विवादित आराजीयात बाबत स्वयं को सत्यनारायण का दत्तक पुत्र बताते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया जिसमें अपीलांट उगमी देवी पुत्री चंद्रनाथ को आवश्यक पक्षकार होने के उपरांत भी वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद में अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार के रूप में मूर्तिब नहीं कर तथा रेस्पोडेन्ट को साक्ष्य, सुनवाई एवं जवाब का बिना समुचित अवसर प्रदान किए उक्त राजस्व वाद प्रस्तुत किया तथा विवादित आराजीयात बाबत अपीलांट के हक एवं अधिकार निहित होने के कारण उक्त अपील को आंशिक स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता हैं कि वे उभयपक्षों को जवाब, साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विवादित आराजीयात बाबत गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

10. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2022 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे उभयपक्षों को जवाब, साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विवादित आराजीयात बाबत गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करें। उभयपक्ष को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.11.2022 को उपस्थित रहने हेतु पावंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

निर्णय आज दिनांक 11.10.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर